सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 14, शुक्रवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2023

संख्या:39/भू.अ./ज.स./2015/2330-2334:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बांरा शहर बाढ बचाव योजना के अन्तर्गत "Re-sectioning, Restoration, Safety Retaining Wall and Structure Construction of Nalka Nallah, Forest Nallah and Banganga Nallah from NH 27 to Banganga and Nalka Nallah Junction Point (Km 10.400) including prorate charges, price escalation, contingency, land etc. under Baran Flood Protection Scheme Phase-II" के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** की धारा-**4(1)** एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के नियम **6(8)** की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, प्रथम बांरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** की धारा **3 (**जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक **1(51) Rev-6/2014/31** दिनांक **28.08.2015** के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन) वृत, बांरा होगे।

विवरण

For "Resectioning, Restoration, Safety Retaining wall and structure construction of Nalka Nallah, Forest Nallah and Banganga Nallah from NH 27 to Banganga and Nalka Nallah junction point (Km 10.400) including prorata charges, price escalation, contingency, Land etc under Baran Flood protection Scheme Phase II" में अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बारां।

क्रं-सं-	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्रामपंचायत	तहसील	जिला	भूमिअवाप्ति अधिकारी
1	Resectioning, Restoration,	खेडली-भेडोलिया	लिसाड़िया			

	Safety Retaining wall and structure construction of Nalka Nallah, Forest Nallah and Banganga Nallah from NH 27 to Banganga and Nalka Nallah junction point (Km 10.400) including prorata charges, price escalation, contingency, Land etc under Baran Flood protection Scheme Phase II	भडसुई	लिसाड़िया	बारां	बारां	बारां
		लिसाडिया	लिसाड़िया			
		माथनी	माथना			
		माथना	माथना			
		समसपुर	लिसाड़िया			
		पीपल्दा	मेलखेडी			
		नलका	मेलखेडी			
		काजीखेडा	सुन्दलक			
		रजपाली	सुन्दलक			
		गजनपुरा	सुन्दलक			
		बमूलिया	सुन्दलक			

फार्म 2

(देखे नियम - 5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित होगाः.

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड़ प्रथम बारां
(ख)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	"Resectioning, Restoration, Safety Retaining wall and structure construction of Nalka Nallah, Forest Nallah and Banganga Nallah from NH 27 to Banganga and Nalka Nallah junction point (Km 10.400) including prorata charges, price escalation, contingency, Land etc under Baran Flood protection Scheme Phase II" के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि Private land 28.88Hec. Government land 15.40 Hec.
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण

	महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(3) सार्वजनिकसुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और/ या भू – स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(ड)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हा
(छ)	समाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड़ प्रथम बारां में उपलब्ध

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।